राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, महात्मा गांधी नरेगा)

क्र. एफ 1(16)ग्रावि/नरेगा/वाकायो 14–15/2013

जयपुर, दिनांक : 16 JUL 2014

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम,
समस्त राजस्थान।

विषयः **वित्तीय वर्ष 2014–15 में अनुमोदित श्रम बजट के अनुसार श्रमिकों का नियोजन कर मानव दिवस सृजन के संबंध में।**

संदर्भः **विभागीय समसंख्यक पत्रांक दिनांक 09.05.2014**

महोदय,

महात्मा गांधी नरेगा योजना का मुख्य उद्वेश्य अकुशल श्रमिकों को गारण्टीशुदा रोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही स्थाई परिसम्पतियों का सृजन करना भी हैं। इसे सुनिश्चित करने हेतु प्रगतिरत कार्यो के सघन निरीक्षण किए जा रहे हैं। निरीक्षण के दौरान कार्यस्थल पर पाई गई कमियों की पूर्ति हेतु सभी मेटो, ग्राम रोजगार सहायकों, कनिष्ठ तकनीकी सहायकों व ग्राम सेवको को सघन प्रशिक्षण दिया गया है। प्रगतिरत कार्यो के सघन निरीक्षण एवं प्रशिक्षण के कारण स्थाई परिम्पत्तियों के सृजन में सुधार हो रहा है एवं श्रमिकों को पूरे टास्क के आधार पर सही मजदूरी का भुगतान होने लगा है। **किन्तु, इन सुधारात्मक उपायों से कई स्थानों पर मानव दिवसों के सृजन में गिरावट भी आ गई है।**

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में लेख है कि जिलो से प्राप्त श्रम बजट के आधार पर राज्य का श्रम बजट तैयार कर भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाता है। अतः जिलों से यह अपेक्षा की जाती है कि अनुमोदित श्रम बजट के आधार पर मानव दिवसों का सृजन सुनिश्चित करें। श्रम बजट के अनुसार मानव दिवसों का सृजन किया जाना निम्न कारणों से भी आवश्यक है :–

1. महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम के प्रावधानानुसार, रोजगार की मांग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक गृहस्थी के लिए वित्तीय वर्ष में गारंटीकृत रोजगार के रूप में अकुशल शारीरिक कार्य के लिए 100 दिन तक का प्रदान करना अनिवार्य है। अतः स्थाई परिसम्पत्तियों के सृजन के साथ–साथ यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि कार्य के लिए इच्छुक व्यक्तियों को सरलता एंव सहजता से रोजगार उपलब्ध हो एवं किसी भी परिस्थिति में उनको रोजगार के अधिकार से वंचित नहीं होना पड़े।

2. रोजगार की मांग के क्रम में मानव दिवसों के सृजन के आधार पर ही भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को केन्द्रीयांश की राशि उपलब्ध कराई जाती है। यदि इस वित्तीय वर्ष में अनुमोदित लेबर बजट के अनुसार 20.70 करोड़ मानव दिवसों का सृजन किया जाता है तो राज्य सरकार को लगभग 4500 करोड़ केन्द्रीयांश की राशि उपलब्ध हो सकेगी, जो कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी। अनुमोदित श्रम बजट के अनुसार जिलों में योजनान्तर्गत उपलब्ध राशि का विवरण **संलग्न परिशिष्ट के कॉलम नं. 4 पर हैं।** अतः जिले की वार्षिक योजना व श्रम बजट के अनुसार मानव दिवस सृजन से ही जिले को उक्तानुसार राशि प्राप्त हो सकेगी, जिससे कि ग्रामीण विकास के लिए स्थायी एवं उपयोगी परिसम्पतियों का निर्माण किया जा सकता है। अतः अनुमोदित श्रम बजट के अनुरूप मानव दिवस का सृजन कर पूर्ण राशि का उपयोग कराऐं।

3. मानव दिवसों के सृजन के आधार पर ही श्रम एवं सामग्री मद के अन्तर्गत व्यय होता हैं। श्रम एवं सामग्री मद के अन्तर्गत व्यय की गई राशि का 6 प्रतिशत प्रशासनिक व्ययों हेतु राज्य स्तर पर अनुमत हैं। जिला स्तर (ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत को शामिल करते हुए) पर प्रशासनिक व्ययों को 5 प्रतिशत की सीमा में रखा जाना अपेक्षित है। अतः जिले में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत नियोजित स्टाफ तथा अन्य गतिविधियों पर व्यय हेतु प्रशासनिक मद में पर्याप्त राशि की उपलब्धता आवश्यक हैं। श्रम बजट में अनुमानित किये गये मानव दिवस सृजन के आधार पर मानव दिवस सृजित किये जाने से ही प्रशासनिक मद हेतु आवश्यक राशि उपलब्ध

हो सकेगी। उदाहरण के लिए अलवर जिले में वित्तीय वर्ष 2013–14 में श्रमिको के नियोजन में कमी आने से प्रशासनिक व्यय बढ़ कर 37 प्रतिशत हो गया था। इस हेतु आवश्यक है कि जिले में श्रम बजट अनुसार मानव दिवसों का सृजन किया जाए।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर पर यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि स्थाई एवं गुणवत्तापूर्ण परिसम्पत्तियों के साथ–साथ अनुमोदित श्रम बजट के अनुसार मानव दिवसों का सृजन किया जाए। वित्तीय वर्ष 2014–15 की प्रथम तिमाही में अनुमोदित लेबर बजट के विरूद्ध वास्तविक मानव दिवसों के सृजन का जिलेवार विवरण संलग्न है। इसके अनुसार कुछ जिलो द्वारा बहुत कम उपलब्धि अर्जित की गई है। अतः इन जिलों द्वारा इस संबंध में गम्भीरता से प्रयास किये जाने की आवश्यकता हैं।

अनुमोदित लेबर बजट की शतप्रतिशत उपलब्धि अर्जित करने हेतु जिला स्तर पर निम्नानुसार कार्यवाही अपेक्षित है :–

1. रोजगार प्राप्ति के लिए आवेदन फार्म संख्या–6 निर्धारित सभी स्थानों पर उपलब्ध रहें एवं मांग अनुसार श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। सादे कागज पर भी आवेदन स्वीकार किए जावें तथा रोजगार की मांग की प्राप्ति रसीद आवश्यक रूप से उपलब्ध कराई जावें। रोजगार की मांग दर्ज कराने हेतु विभागीय कॉल सेन्टर (1800 1806 606) के उपयोग के संबन्ध में भी प्रचार–प्रसार किया जावे।
2. कार्य की मांग पूर्ण किए जाने हेतु कार्य की उपलब्धता सुनिश्चित रखी जावे। कोई भी ग्राम पंचायत ऐसी न रहे जहां योजनान्तर्गत कार्य संचालित न किया जाये।
3. ग्राम रोजगार सहायकों/ग्राम सेवको/मेटो/कनिष्ठ अभियंताओं को मानव दिवसों के सृजन हेतु प्रेरित किये जाए जिससे प्रशासनिक व्यय मद के अन्तर्गत संवेतन एवं अन्य विविध व्ययों हेतु पर्याप्त राशि की उपलब्धता रहे।

अतः आपसे अपेक्षा है कि आपके जिले में अनुमोदित श्रम बजट अनुसार श्रमिकों का नियोजन कर न सिर्फ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएें बल्कि स्थाई संपत्तियों का सृजन कर जिले में महात्मा गांधी नरेगा योजना का अधिकाधिक लाभ लेना सुनिश्चित कराएें।

भवदीय,

1/7

(राजीव ठाकुर)
**शासन सचिव, ग्रामीण विकास**

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–**

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
3. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
4. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव, ईजीएस।
5. अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम/द्वितीय), ईजीएस।
6. वित्तीय सलाहकार, ईजीएस।
7. अधीक्षण अभियंता, ईजीएस।
8. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, नरेगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
9. परियोजना अधिकारी (लेखा), ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
10. विकास एवं कार्यक्रम अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त राजस्थान।

**आयुक्त, ईजीएस**

आयुक्त (ई.जी.एस.)

## Persondays Generated against Labour Budget upto June 2014

| S.No. | Districts | Approved Labour Budget (Persondays in lacs) | Funds available as per Approved Labour Budget (Rs. In crores) | Persondsays to be generated upto June 2014 as per Labour Budget (Target) | Mandays Generated as per MIS report 11.7.2014 (Achievement) | Percentage achievement (Up to Jun) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ajmer | 128.05 | 278 | 67.16 | 31.37 | 46.71 |
| 2 | Alwar | 26.27 | 57 | 12.37 | 7.47 | 60.41 |
| 3 | Banswara | 149.05 | 324 | 105.48 | 84.79 | 80.39 |
| 4 | Baran | 37.23 | 81 | 19.32 | 20.54 | 106.30 |
| 5 | Barmer | 175.61 | 382 | 74.35 | 39.94 | 53.73 |
| 6 | Bharatpur | 29.59 | 64 | 15.60 | 8.64 | 55.42 |
| 7 | Bhilwara | 114.16 | 248 | 49.51 | 38.06 | 76.87 |
| 8 | Bikaner | 69.85 | 152 | 21.94 | 13.70 | 62.43 |
| 9 | Bundi | 21.82 | 47 | 12.07 | 12.51 | 103.61 |
| 10 | Chittorgarh | 39.87 | 87 | 22.54 | 12.68 | 56.23 |
| 11 | Churu | 68.12 | 148 | 32.96 | 22.08 | 66.98 |
| 12 | Dausa | 19.37 | 42 | 8.65 | 7.16 | 82.80 |
| 13 | Dholpur | 14.52 | 32 | 3.75 | 6.24 | 166.64 |
| 14 | Dungarpur | 183.81 | 400 | 98.34 | 88.83 | 90.33 |
| 16 | Hanumangarh | 82.29 | 179 | 13.57 | 14.38 | 105.98 |
| 17 | Jaipur | 54.70 | 119 | 25.01 | 12.88 | 51.52 |
| 18 | Jaisalmer | 38.55 | 84 | 9.17 | 7.15 | 77.96 |
| 19 | Jalour | 58.66 | 128 | 22.66 | 17.71 | 78.19 |
| 20 | Jhalawar | 40.12 | 87 | 21.59 | 16.72 | 77.42 |
| 21 | Jhunjhunu | 19.36 | 42 | 6.69 | 4.06 | 60.68 |
| 22 | Jodhpur | 100.17 | 218 | 51.88 | 24.94 | 48.08 |
| 23 | Karoli | 34.49 | 75 | 11.44 | 8.09 | 70.72 |
| 24 | Kota | 31.98 | 70 | 23.61 | 18.13 | 76.79 |
| 25 | Nagaur | 119.56 | 260 | 50.22 | 35.54 | 70.76 |
| 26 | Pali | 56.02 | 122 | 30.61 | 16.23 | 53.02 |
| 27 | Pratapgarh | 34.19 | 74 | 24.78 | 17.95 | 72.43 |
| 28 | Rajasamand | 50.26 | 109 | 21.36 | 14.91 | 69.78 |
| 29 | S.Madhopur | 26.79 | 58 | 13.60 | 4.84 | 35.55 |
| 30 | Sikar | 30.48 | 66 | 8.00 | 7.45 | 93.09 |
| 31 | Sirohi | 21.57 | 47 | 11.52 | 10.30 | 89.38 |
| 15 | Sri Ganganagar | 72.20 | 157 | 9.89 | 7.39 | 74.69 |
| 32 | Tonk | 26.00 | 57 | 15.19 | 8.66 | 57.02 |
| 33 | Udaipur | 96.39 | 210 | 48.82 | 40.16 | 82.25 |
| **Total** | | **2071.10** | **4502** | **963.68** | **681.51** | **70.72** |